महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–1–ई.एम. / 2010–का–4–2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर पदेश शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी 2011

विषयः– सेवा संवर्गो की समस्याओं के संबंध में ।

महोदय,

विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर सम्पन्न विभिन्न बैठकों में बने मतैक्य के आधार पर निर्णय कराकर, वित्त विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा समय–समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं । शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी किया गया है । यह भी संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा अभी तक समीक्षा बैठकें आहूत नहीं की जा रही हैं । उक्त स्थिति कियान्वयन / अनुपालन संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक माह सेवा संगठनों की मांगों पर शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:–

उचित नहीं है । अतः सम्यक् विचारोपरान्त मांगों पर निर्णय लिये जा चुके हैं, का कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक

(1) कर्मचारी संगठनों की लिस्ट विभाग / कार्मिक विभाग को विलम्बतम दिनांक 20.1.2011 तक उपलब्ध करा दी जाय ।

(2) शासनादेश संख्या–2–ई.एम. / 2009–का–4–2010,दिनांक 3.3.2010, 12.3.2010 एवं 25.8.2010 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, प्रत्येक माह की 05 तारीख को नियंणाधीन संगठनों के साथ बैठकें आहूत कर, उनकी समस्याओं का निराकरण कराते हुए, उसकी सूचना प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्मिक विभाग एवं कार्यक्रम कियान्वयन विभाग को उपलब्ध करा दी जाय, ताकि उसका अनुश्रवण किया जा सके ।

(3) जिन मांगों का निराकरण विभाग स्तर पर संभव न हो, को कार्मिक विभाग को संदर्भित कर दिया जाय, ताकि कार्मिक विभाग द्वारा उक्त मांगों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके ।

2. उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । अनुपालन न करने वाले अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव